

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

मांग संख्या 12

औद्योगिक नीति तथा संवर्धन विभाग

क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:

मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2009-2010			बजट 2010-2011			संशोधित 2010-2011			बजट 2011-2012			
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
राजस्व	877.55	182.04	1059.59	1040.00	158.87	1198.87	1040.00	180.00	1220.00	1292.00	189.00	1481.00	
पूँजी	12.00	...	12.00	10.00	...	10.00	10.00	...	10.00	8.00	...	8.00	
जोड़	889.55	182.04	1071.59	1050.00	158.87	1208.87	1050.00	180.00	1230.00	1300.00	189.00	1489.00	
1. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	3451	...	37.66	37.66	...	35.20	35.20	...	38.94	38.94	...	41.31	41.31
उद्योग													
2. राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद	2852	...	10.91	10.91	...	5.50	5.50	...	11.49	11.49	...	9.50	9.50
3. राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान	2852	...	1.79	1.79	...	1.00	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	1.00
4. एशियाई उत्पादकता संगठन	2852	...	5.93	5.93	...	6.00	6.00	...	6.00	6.00	...	6.50	6.50
5. विश्व बौद्धिक संपदा संगठन	3475	...	0.46	0.46	...	0.45	0.45	...	0.43	0.43	...	0.45	0.45
6. स्वायत्तशासी संस्थानों को परियोजना आधारित सहायता	2852	90.00	...	90.00	90.00	...	90.00	...	90.00	100.00	...	100.00	
जोड़-उद्योग		90.00	19.09	109.09	90.00	12.95	102.95	90.00	18.92	108.92	100.00	17.45	117.45
अन्य प्रशासनिक सेवाएं													
7. पेट्रोलियम एवं विस्फोटक पदार्थ सुरक्षा संगठन	2070	2.88	21.94	24.82	1.98	21.14	23.12	1.98	20.64	22.62	2.97	22.95	25.92
अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं													
8. पेंटेंट, डिजाइन और ट्रेड मार्क महानियंत्रक	3475	...	31.98	31.98	...	31.90	31.90	...	35.77	35.77	...	32.48	32.48
9. भौगोलिक संकेतन रजिस्ट्री	3475	...	0.88	0.88	...	0.95	0.95	...	0.95	0.95	...	0.90	0.90
10. बौद्धिक संपदा कार्यालय का आधुनिकीकरण और संदृष्टीकरण	3475	15.44	...	15.44	25.00	...	25.00	25.00	...	25.00	50.00	...	50.00
11. राष्ट्रीय बौद्धिक संपत्ति प्रबंधन संस्थान	3475	...	0.14	0.14	...	0.40	0.40	...	0.30	0.30	...	0.40	0.40
	4059	5.00	...	5.00	10.00	...	10.00	10.00	...	10.00	8.00	...	8.00
जोड़		5.00	0.14	5.14	10.00	0.40	10.40	10.00	0.30	10.30	8.00	0.40	8.40
12. आर्थिक सलाहकार	3475	1.38	4.28	5.66	2.00	3.61	5.61	2.00	4.04	6.04	4.00	4.34	8.34
13. बौद्धिक संपत्ति अपीलीय बोर्ड (आईपीएबी)	3475	...	2.35	2.35	...	2.15	2.15	...	2.12	2.12	...	2.53	2.53
जोड़-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं		21.82	39.63	61.45	37.00	39.01	76.01	37.00	43.18	80.18	62.00	40.65	102.65
14. टैरिफ आयोग	2852	...	6.32	6.32	...	6.17	6.17	...	6.30	6.30	...	6.71	6.71
15. नमक आयुक्त	2852	...	23.32	23.32	...	21.85	21.85	0.99	25.58	26.57	3.00	27.10	30.10
16. केन्द्रीय विनिर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान http://indiabudget.nic.in	2852	...	7.93	7.93	...	2.75	2.75	...	4.24	4.24	...	5.50	5.50

मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2009-2010			बजट 2010-2011			संशोधित 2010-2011			बजट 2011-2012			
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
17. औद्योगिक शिक्षा, अनुसंधान व प्रशिक्षण													
17.01 लुग्दी एवं कागज उद्योग विकास परिषद	2852	...	5.50	5.50	...	3.50	3.50	...	4.50	4.50	...	6.50	6.50
17.02 कागज क्षेत्र के लिए तकनीकी उन्नयन निधि योजना	2852	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
जोड़- औद्योगिक शिक्षा, अनुसंधान व प्रशिक्षण		...	5.50	5.50	0.01	3.50	3.51	0.01	4.50	4.51	...	6.50	6.50
18. सीमेंट उद्योग विकास परिषद	2852	...	3.35	3.35	...	1.70	1.70	...	1.70	1.70	...	2.00	2.00
19. भारतीय चर्म विकास कार्यक्रम	2852	139.67	...	139.67	170.00	...	170.00	170.00	...	170.00	240.00	...	240.00
20. अन्य योजनाएं	2852	...	0.02	0.02	...	0.02	0.02	...	0.02	0.02	...	0.02	0.02
21. संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन	2852	...	8.08	8.08	...	8.40	8.40	...	8.75	8.75	...	8.50	8.50
22. पिछड़े क्षेत्रों का विकास													
22.01 औद्योगिक इकाइयों को परिवहन सब्सिडी	2885	405.00	...	405.00	200.00	...	200.00	200.00	...	200.00	180.00	...	180.00
22.02 जम्मू व कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखण्ड के लिए विशेष श्रेणी के राज्यों का पैकेज	2885	49.50	...	49.50	65.00	...	65.00	65.00	...	65.00	200.00	...	200.00
22.03 पूर्वोत्तर औद्योगिक पैकेज	2885	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
22.04 केन्द्रीय ब्याज सब्सिडी योजना	2885	40.00	...	40.00
22.05 पूँजी निवेश सब्सिडी	2885	31.15	...	31.15	0.02	...	0.02
जोड़- पिछड़े क्षेत्रों का विकास		525.65	...	525.65	265.01	...	265.01	265.03	...	265.03	380.01	...	380.01
23. औद्योगिक आधारढांचा उन्नयन स्कीम	2852	98.24	...	98.24	119.00	...	119.00	119.00	...	119.00	115.00	...	115.00
24. राष्ट्रीय सीमेंट एवं भवन सामग्री परिषद	2852	...	8.00	8.00	...	2.50	2.50	...	4.50	4.50	...	6.50	6.50
25. भारतीय रबर विनिर्माण अनुसंधान संघ	2852	0.04	0.04
26. बॉयलर सर्वेक्षण	2852	...	0.10	0.10	...	0.12	0.12	...	0.11	0.11	...	0.24	0.24
27. राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता परिषद	2852	0.89	1.95	2.84	2.00	3.52	5.52	1.00	2.62	3.62	2.00	3.57	5.57
28. निवेश प्रोत्साहन योजना	2852	6.85	...	6.85	15.00	...	15.00	15.00	...	15.00	20.00	...	20.00
29. दिल्ली मुम्बई औद्योगिक गलियारा विकास निगम को अनुदान	2875	75.00	...	75.00	75.00	...	75.00	175.00	...	175.00
30. सरकारी उद्यमों में निवेश													
30.01 दिल्ली मुम्बई औद्योगिक गलियारा विकास निगम	4875	7.00	...	7.00
31. श्रम सघन उद्योगों के लिए औद्योगिक पार्क	2852	0.01	...	0.01	0.03	...	0.03
32. अतिरिक्त भुगतान की वसूलियाँ	2852	-0.67	-0.85	-1.52
	2885	-2.78	...	-2.78
जोड़		-3.45	-0.85	-4.30
33. पूर्वोत्तर क्षेत्र एवं सिक्किम के लिए प्रावधान													
33.01 पूर्वोत्तर औद्योगिक निवेश संवर्धन http://indiabudget.nic.in	2552	274.99	...	274.99	274.99	...	274.99	199.99	...	199.99

मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2009-2010			बजट 2010-2011			संशोधित 2010-2011			बजट 2011-2012			
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
नीति, 2007													
कुल जोड़	889.55	182.04	1071.59	1050.00	158.87	1208.87	1050.00	180.00	1230.00	1300.00	189.00	1489.00	
विकास शीर्ष	बजट सहायता	आं. व. वा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. व. वा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. व. वा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. व. वा. सं.	जोड़	
ख. सार्वजनिक उद्यम में निवेश													
30.01 दिल्ली मुम्बई औद्योगिक गलियारा विकास निगम	12875	7.00	...	7.00	
जोड़	7.00	...	7.00	
ग. योजना परिव्यय													
1. अन्य उद्योग	12875	344.86	...	344.86	473.00	...	473.00	472.98	...	472.98	658.00	...	658.00
2. उद्योगों और खनिजों पर अन्य परिव्यय	12885	522.87	...	522.87	265.01	...	265.01	265.03	...	265.03	380.01	...	380.01
3. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	13475	21.82	...	21.82	37.00	...	37.00	37.00	...	37.00	62.00	...	62.00
4. पूर्वोत्तर क्षेत्र	22552	274.99	...	274.99	274.99	...	274.99	199.99	...	199.99
जोड़	889.55	...	889.55	1050.00	...	1050.00	1050.00	...	1050.00	1300.00	...	1300.00	

1. **सचिवालय - आर्थिक सेवाएं:** इसमें औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग के सचिवालय व्यय के लिए प्रावधान है।

2. **राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद:** इसमें इस संगठन, जिसकी स्थापना उत्पादकता के प्रति जागरूकता पैदा करने और प्रशिक्षण कार्यक्रमों, संगोष्ठियों, उत्पादकता सर्वेक्षण, व्यावहारिक अनुसंधान आदि के माध्यम से राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के लिए उत्पादकता सेवाएं प्रदान करने के लिए की गई थी, के लिए अनुदानों की व्यवस्था की गई है।

3. **राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान:** इसकी स्थापना उद्योग में डिजाइन के प्रति चेतना पैदा करने और सरमिक डिजाइन, उत्पाद डिजाइन, वेशभूषा डिजाइन, और दृश्य संचार जैसे औद्योगिक डिजाइनों में प्रशिक्षण, अनुसंधान और सेवा प्रदान कराने के लिए की गई है।

4. **एशियाई उत्पादकता संगठन:** इसमें एशियाई उत्पादकता संगठन में भारत की सदस्यता के लिए अंशदान के लिए व्यवस्था की गई है।

5. **विश्व बौद्धिक सम्पत्ति संगठन:** इसमें डब्ल्यू.आई.पी.ओ. में भारत की सदस्यता के लिए अंशदान की व्यवस्था की गई है।

<http://indiabudget.nic.in>

6. **स्वायत्तशासी संस्थाओं को परियोजना आधारित सहायता:** इसमें स्वायत्तशासी संस्थाओं यानी भारतीय गुणवत्ता परिषद, राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, केन्द्रीय लुग्दी तथा कागज अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय सीमेंट तथा भवन सामग्री परिषद, केन्द्रीय विनिर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान, भारतीय रबड़ विनिर्माण अनुसंधान एसोसिएशन, राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्द्धी परिषद और राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद को परियोजना आधारित सहायता देने का प्रावधान है।

7. **पेट्रोलियम एवं विस्फोटक पदार्थ सुरक्षा संगठन:** इसमें संगठन के स्थापना व्यय की व्यवस्था की गई है जो भारतीय विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1884, पेट्रोलियम अधिनियम 1934, तथा ज्वलनशील पदार्थ अधिनियम, 1952 और उनके अन्तर्गत बनाये गये नियमों का प्रशासन करता है। यह संस्था सभी प्राधिकरणों को इन अधिनियमों के अन्तर्गत आने वाले मामलों पर परामर्श देती है और पुलिस, हवाई अड्डा सुरक्षा, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों, आदि को विस्फोटकों का पता लगाने के विषय में गहन प्रशिक्षण देती है। यह संगठन विस्फोटकों के विनिर्माण, परिष्करण, प्रसंस्करण, प्रबंध, भण्डारण, गुणवत्ता विनिर्देशों से संबंधित मानक तैयार करने और संशोधित करने में भारतीय मानक ब्यूरो और तेल उद्योग सुरक्षा निदेशालय इत्यादि के साथ समन्वय करता है।

8. **पेटेंट, डिजाइन और व्यापार चिह्न महा-नियंत्रक (सीजीपीडीटीएम):** यह कार्यालय औद्योगिक संपत्ति अधिकार से संबंधित कानून नामतः पेटेंट अधिनियम, 1970, डिजाइन अधिनियम, 2000, व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999 और भौगोलिक संकेतक अधिनियम 1999 (पंजीकरण और सुरक्षा) आदि को प्रशासित करता है।

9. **भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री:** यह कार्यालय औद्योगिक संपत्ति अधिकार से संबंधित कानून नामतः पेटेंट अधिनियम, 1970, डिजाइन अधिनियम, 2000, व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999 और भौगोलिक संकेतक अधिनियम 1999 (पंजीकरण और सुरक्षा) आदि को प्रशासित करता है।

10. **बौद्धिक सम्पत्ति कार्यालय का आधुनिकीकरण और सुदृढीकरण:** पेटेंट, डिजाइन और व्यापार चिह्न महानियंत्रक की सभी स्कीमों को एक समिश्च स्कीम, जिसके अंतर्गत पेटेंट कार्यालय, व्यापार चिह्न रजिस्ट्री, डिजाइन कार्यालय और भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री शामिल है, के रूप में विलय कर दिया गया है।

11. **राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा प्रबंधन संस्थान:** इसमें बौद्धिक सम्पदा के क्षेत्र में प्रशिक्षण एवं शिक्षा अनुसंधान की व्यवस्था की गई है।

12. **आर्थिक सलाहकार:** यह कार्यालय (i) आर्थिक नीतियों के सभी मामलों पर सलाह प्रदान करता है, (ii) औद्योगिक उत्पादन और क्षमता उपयोग की प्रवृत्तियों का परीक्षण करता है, औद्योगिक और आयात नीतियों के निर्माण में सहायता करता है, (iii) औद्योगिक क्षेत्र और विशिष्ट उद्योगों के संदर्भ में ऋण नीति, ऋण आयोजन और इसकी उपलब्धता से संबंधित मामलों का परीक्षण करता है, (iv) उद्योग के लिए वित्तीय प्रस्तावों और शुल्क/उगाहियों का विश्लेषण करता है, (v) औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित अनुसंधान कार्यों का समन्वय करता है (vi) भारत में थोक मूल्यों के सूचकांकों का संकलन और विश्लेषण करता है।

13. **बौद्धिक संपत्ति अपीलीय बोर्ड (आई.पी.ए.बी.):** इसकी स्थापना रजिस्ट्रार, ट्रेड मार्क भौगोलिक संकेतक के निर्णय के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई के लिए की गई है। आई.पी.ए.बी. उच्च न्यायालयों के क्षेत्राधिकारों का स्थान लेता है। बजट व्यवस्था वेतन तथा बोर्ड के स्थापना संबंधी अन्य खर्चों को पूरा करने के लिए है।

14. **टैरिफ आयोग:** यह भारत सरकार द्वारा 2 सितम्बर, 1997 से स्थापित आयोग की स्थापना संबंधी व्यय के लिए है। बाद में पहले के बी.आई.सी.पी. को टैरिफ आयोग में मिलाकर आयोग को मजबूत बनाया गया है।

15. **नमक आयुक्त:** यह संगठन केंद्रीय नमक उपकर अधिनियम 1953 और उसके अन्तर्गत बनाये गए नियमों का प्रशासन करने के लिए उत्तरदायी है। यह नमक और आयोडीन युक्त नमक के उत्पादन तथा युक्ति संगत वितरण को भी विनियमित करता है। यह नियमित रूप से नमक की उपलब्धता और मूल्य को भी मानीटर करता है। बजट में संगठन के स्थापना प्रभारों और विकास/कल्याण कार्यों के संबंध में व्यवस्था की गई है।

16. **केन्द्रीय विनिर्माणकारी प्रौद्योगिकी संस्थान:** केन्द्रीय विनिर्माणकारी प्रौद्योगिकी संस्थान, बंगलूर नए डिजाइन और नियंत्रण प्रणालियों के विकास द्वारा इंजीनियरी उद्योगों को तकनीकी सहायता प्रदान करने वाले धातुकर्म उद्योग के विनिर्माण प्रौद्योगिकी उन्नति के लिए एक प्रमुख अनुसंधान और विकास संगठन है। यह विभिन्न रणनीतिक क्षेत्रों जैसे परमाणु उर्जा, एअरो-स्पेस और रक्षा के लिए विशेष उपकरणों मशीनों और विशेषीकृत उन्नत परीक्षण प्रणालियों के डिजाइन और विकास के सम्पूर्ण समाधान की व्यवस्था करता है। यह इन क्षेत्रों के लिए महत्त्वपूर्ण प्रति स्थापन उत्पादों के विकास के लिए आवश्यकता पूर्ति करता है। यह संस्थान विनिर्माण की विभिन्न उप-शाखाओं जैसे हाई एंड मशीन औजारों और नियंत्रण प्रणालियों, अत्याधुनिक औजारों और नवीन उपकरणों, त्वरित प्रोटो-टाइप और टूलिंग एवं सूक्ष्म त्रिविमीय, लेसर निसाद के लिए धातु मूल पत्थर मिश्रण, मशीन औजारों <http://indiabudget.nic.in>

के लिए उन्नत परीक्षण और निदान, मशीन औजारों लेसर अशांकन और संरक्षण, रोबोटिक व स्वचलन और अन्य वैद्युत चुंबकीय निर्माण में सम्बद्ध अनुसंधान और विकास परियोजनाओं द्वारा अभियांत्रिकी उद्योग में महत्वपूर्ण निवेश की व्यवस्था करता है।

17.01. **लुगदी और कागज उद्योग विकास परिषद:** इसके अन्तर्गत लुगदी और कागज क्षेत्र में अनुसंधान करने के लिए केंद्रीय लुगदी और कागज अनुसंधान संस्थान और कागज लुगदी एवं सम्बद्ध उद्योगों की विकास परिषद को दिए गए अनुदान शामिल हैं।

17.02. **कागज क्षेत्र हेतु प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना:** इसमें 5 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी की प्रतिपूर्ति की व्यवस्था है।

18. **सीमेंट उद्योग के लिए विकास परिषद:** इसमें सीमेंट उद्योग के लिए अनुसंधान और विकास परियोजनाओं तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों हेतु व्यवस्था की गई है।

19. **भारतीय चर्म विकास कार्यक्रम:** रोजगार अवसरों और अधिक निर्यात के लिए कच्चे माल का संवर्धन, विनिर्माण क्षमता का संवर्धन, पर्यावरणिक समस्याओं का समाधान, मानव संसाधन दक्षता का विकास, ढ़ौंचागत अड्चनों को दूर करके, घरेलू और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को आकृष्ट करना और भारतीय चर्म का वैश्विक विपणन प्रदान करना है।

20. **अन्य स्कीम:** इसमें अशोक कागज मिल, असम एकक के लिए सहायता का प्रावधान है।

21. **संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन:** इसमें संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन को अंशदान देने के लिये प्रावधान किया गया है।

22.01. **औद्योगिक इकाइयों को परिवहन सब्सिडी:** इसमें पहाड़ी, दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों में औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक इकाइयों को परिवहन सब्सिडी देने के लिए प्रावधान है।

22.02. **जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखण्ड के लिए विशेष श्रेणी के राज्यों का पैकेज:** इसमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखण्ड, राज्यों के लिए औद्योगिक नीति में निहित विभिन्न स्कीमों के वित्तपोषण की व्यवस्था है।

22.03. **पूर्वोत्तर औद्योगिक पैकेज:** इस पैकेज में केंद्रीय पूंजी निवेश सब्सिडी योजना, केंद्रीय ब्याज सब्सिडी योजना और व्यापक बीमा योजना नामक विभिन्न योजनाएं शामिल हैं।

23. **औद्योगिक अवसंरचना उन्नयन स्कीम:** औद्योगिक अवसंरचना उन्नयन स्कीम को इसकी अंतर्निहित शक्ति का निर्माण करके तीव्र एवं अनवरत निरन्तर औद्योगिक विकास में सहायता की दृष्टि से तैयार किया गया है।

24. **राष्ट्रीय सीमेंट एवं भवन निर्माण सामग्री परिषद:** इसमें राष्ट्रीय सीमेंट एवं भवन निर्माण सामग्री परिषद के लिए अनुदानों हेतु प्रावधान किया गया है।

26. **बाँयलर का सर्वेक्षण:** इसमें बाँयलर के सर्वेक्षण के लिए अनुसंधान अध्ययनों हेतु बजट का प्रावधान है।

27. **राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता परिषद:** एक शीर्ष निकाय के रूप में इस परिषद का गठन ऐसे विनिर्माण क्षेत्रों के विकास को गति देने और बनाए रखने के लिए जिनमें वैश्विक प्रतिस्पर्धा की क्षमता हो और जो विनिर्माण क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए अपेक्षित राष्ट्रीय स्तर के उद्योग/क्षेत्र विशिष्ट नीतिगत उपायों की सिफारिश करे। स्थापना संबंधी व्ययों के अलावा, विभिन्न अध्ययनों, मूल्यांकन रिपोर्टों को तैयार करना और परामर्शदाताओं को नियुक्त करने से जुड़े कार्य करने की भी जरूरत है ताकि विनिर्माण क्षेत्र की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाई जा सके।

28. **निवेश प्रोत्साहन योजना:** अन्तरराष्ट्रीय निगम तथा संयुक्त उपक्रम, एशिया उद्यम तथा उपक्रम निवेश प्रोत्साहन गतिविधियों को आपस में मिला दिया गया है और यह प्रावधान मिलायी गयी योजना के लिए है। निवेश प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य देश में विदेशी निवेश को इन्वेस्ट इंडिया कम्पनी और विभाग द्वारा आरंभ किए गए निवेश संवर्धन कार्यक्रमों के जरिए प्रोत्साहित करना है। इसमें राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस परियोजना के तहत ईबिज मिशन मोड परियोजना भी शामिल है, जिसका कार्यान्वयन विदेशी और घरेलू निवेशकों को विभिन्न निवेश और व्यापार संबंधी सेवाएँ जैसे, लाइसेंस, अनुमोदन, अनापत्ति प्रमाण पत्र, निकासी आदि प्रदान करने हेतु किया जा रहा है।

29. **दिल्ली मुम्बई औद्योगिक गलियारा विकास निगम को अनुदान:** निगम की स्थापना दिल्ली मुम्बई औद्योगिक गलियारा (डीएमआईसी) परियोजना के कार्यान्वयन हेतु की गई है जिसका उद्देश्य डीएमआईसी क्षेत्र में विश्व स्तरीय अवसंरचना का निर्माण करना है। इसमें लगभग 150-200 कि.मी. चौड़े बैंक के निर्माण की योजना है जो दिल्ली और मुम्बई के बीच 1483 कि.मी. लम्बे वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की एक तरफ होगा और यह मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, उत्तरप्रदेश, हरियाणा और महाराष्ट्र से होकर गुजरेगा।

33. **पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लिए प्रावधान:** यह प्रावधान पूर्वोत्तर औद्योगिक निवेश संवर्धन नीति, 2007 के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ को परियोजनाओं/योजनाओं के लिए निर्धारित किया गया है।